रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 <u>REGD. No. D. L.-33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-10112021-231011 SG-DL-E-10112021-231011

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 10, 2021/कार्तिक 19, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 242 No. 325] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2021/KARTIKA 19, 1943 [N. C. T. D. No. 242

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 नवम्बर, 2021

सं. फा. 03(107)/वित्त(व्यय—I)/2021—22/डीएस—I/295.—जबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल का मत है कि आम जनता के हित में ऐसा करना समीचीन है;

अब, इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के साथ संलग्न चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :—

संशोधन

1. चौथी अनुसूची में, क्रम सं. 2, से संबंधित मौजूदा पंक्ति के लिए, निम्नलिखित पंक्तियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः —

(i)	परिसर ''के बाहर'' उपभोग के लिए लिकर (फॉरेन एण्ड इंडियन मेड फॉरेन लिकर) रुपये में 01 पैसे	_
	थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता तक 10.11.2021 से प्रभावी)	

6459 DG/2021 (1)

	(ii)	परिसर ''के बाहर'' उपभोग के लिए लिकर (फॉरेन एण्ड इंडियन मेड फॉरेन लिकर), खुदरा विक्रेता द्वारा:–	
2.	(ক)	16.11.2021 तक	रुपये में 25 पैसे
	(ख)		रुपये में 01 पैसे
	(iii)	परिसर "में" उपभोग के लिए लिकर (फॉरेन एण्ड इंडियन मेड फॉरेन लिकर)	रुपये में 25 पैसे
		(होटल, क्लब और रेस्टोरेंट)	

नोट : दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 2, में अंतिम बार अधिसूचना संख्या फा. 3(10) / वित्त(राजस्व—I) / 2020—21 / डीएस—VI / 178 दिनांक 09.06.2020 के तहत संशोधित की गई।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, रविन्द्र कुमार, उप—सचिव I (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 10th November, 2021

No. F. 3(107)/Fin.(Exp.-I)/2021-22/DS-I/295.—Whereas, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do;

Now, therefore, in the exercise of power conferred by sub-section (1) of section 103 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendments in the Fourth Schedule appended to the said Act namely:-

AMENDMENTS

1. In the Fourth Schedule, for the existing row pertaining to Serial No. 2, the following rows shall be substituted, namely:-

6	٤	

2.	(i)	Liquor (Foreign and Indian Made Foreign liquor) for consumption "off" the premises (under Excise Policy, 2021-22, from Wholesaler to retailer w.e.f. 10.11.2021)	01 paise in the rupee
	(ii)	Liquor (Foreign and Indian Made Foreign liquor) for consumption "off" the premises, by retailer: -	
	a.	Till 16.11.2021.	25 paise in the rupee
	b.	w.e.f. 17.11.2021	01 paise in the rupee
	(iii)	Liquor (Foreign and Indian Made Foreign liquor) for consumption "on" the premises (Hotels, Clubs and Restaurants)	25 paise in the rupee

Note: The serial No. 2 of the Fourth Schedule of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), last amended vide Notification No. F. 3(10)/Fin(Rev-I)/2020-21/ds-VI/178 dated 09.06.2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. I (Finance)